फर्द अहकाम

केलाराम वगै० बनाम लक्ष्मा वगै०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

संख्या 35/2022

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 17/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	
	17/3/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण पत्रावली आदेश के विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादी की बहस का मनन किया गया। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राज० काश्तकारी अधि० को स्वीकार किया जाता है तथा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया। निर्णय आज खुले इजलास सुनाया गया। पत्रावली कैफियत हमराह होकर नियम से कम हो तकमील बाद दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जमवारामगढ़, जयपुर
बईजलास श्री ललित मीना R.A.S.

मुकदमा नम्बर – 35/2022 दायर दिनांक 16.02.2022

1. देवाराम पुत्र भोवरया उर्फ भौरीलाल
2. राजू देवी पुत्री भोवरया उर्फ भौरीलाल
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान। वादीगण

बनाम

1. लछमा पत्नि मल्ला
2. गोपाल पुत्र मल्ला
3. फेलीराम पुत्र मल्ला
4. भोलाराम पुत्र मल्ला
5. कृष्ण पुत्र मल्ला
6. कालू पुत्र मल्ला
7. भौरी देवी पत्नि श्योराम
8. रामकल्याण पुत्र श्योराम
9. मीरा पत्नि नरसी
   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर। प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री किशन लाल एडवोकेटः– वादीगण

(दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम)

निर्णय दिनांक 17.03.2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से एडवोकेट श्री किशन लाल द्वारा दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राज0 काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के हाल खसरा नं0 420 रकबा 0.3000है0, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.2500है0, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.2500है0, खसरा नम्बर 612 रकबा 0.2400है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.0400है0 के साबिक खसरा नम्बर 453, 586मि. स्थित ग्राम नटाटा पटवार हल्का नटाटा तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित है। जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक विरासती भूमि है। संवत 2022 की एकीकरण खतौनी राजस्व जमाबन्दी में उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के खातेदार काना, चन्दा, नारायण, भेवरया पुत्र झूथा जाति मीणा साह देह थे उसके बाद संवत 2008 से 2028 अवधि बन्दोबस्त की जमाबन्दी में उक्त भूमि मल्ला, श्योराम पुत्र काना, चन्दा, नारायण पुत्रान झूथा के नाम दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है जबकि उसमें वादीगण के पिता भोवरया पुत्र झूथा भी 1/12 भाग का खातेदार काश्तकार था लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड संवत 2074 से 2077 की जमाबन्दी खेवट/खतोनी में वादीगण के पिता व वादीगण स्वयं का नाम दर्ज न करके बिना किसी आधार के प्रतिवादी सं0 1 ता 9 के पिता के नाम दर्ज व अंकित कर दिया गया है जो कि गलत है। जो इन्द्राज विधि विरूद्व होने से दुरूस्त किया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना न्यायिक है। सेटलमेंट कर्मचारियों को मात्र यह अधिकार दिये गये थे कि सेटलमेंट कर्मचारियों को दिया गया था किसी भी खातेदारी का इन्द्राज किसी दिगर व्यक्ति के नाम

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के करें लेकिन सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा बिना अधिकारिता के वादीगण के पिता की सम्पत्ति को दौरोन सेटलमेंट प्रतिवादी सं0 1 ता 9 के पिता के नाम बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना विधि विरूद्व जो इन्द्राज करते हुये खसरा नम्बर 420, 453, 610, 612 को प्रतिवादी सं0 1 ता 9 के पिता के नाम का नाम मल्ला पुत्र काना हिस्सा 1/12 एवं श्योराम पुत्र काना हि0 1/12 दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। जबकि वास्तविकता में इनका हिस्सा 1/24–1/24 है तथा वादीगण का हिस्सा 1/12 भाग है। वादीगण ग्रामीण परिवेश की अनपढ व्यक्ति है जो कानूनी प्रकिया को नही समझते यह अपने पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि पर निरन्तर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है लेकिन दिनांक 27.12.2021 को प्रतिवादी सं0 1 ता 9 द्वारा वादीगण को काश्त करने से मना करते हुये कहा गया कि उक्त भूमि से तुम्हारा कोई लेना देना नही है यह भूमि तो हमारे खाते में दर्ज हो गई तुम इस भूमि को अतिशीघ्र खाली कर दो वरना तुम्हारे लिये अच्छा नही रहेगा। वादीगण ने राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर वादीगण के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में नही होने के कारण यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी हुआ। अतः उक्त वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 420, 453, 610, 612 स्थित ग्राम नटाटा तहसील जमवारामगढ में प्रतिवादी सं0 1 ता 9 के पिता व प्रतिवादी सं0 9 के ससूर का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विधि विरूद्व दर्ज किया है उसे दुरूस्त करते हुये प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पिता मल्ला पुत्र काना के नाम दर्ज हिस्से 1/12 के स्थान पर 1/24 व प्रतिवादी सं0 7 व 8 के पिता व 9 के ससूर श्योराम पुत्र काना के नाम दर्ज 1/12 के स्थान पर 1/24 दर्ज किया जावें तथा वादीगण को संयुक्त हिस्सा 1 12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

उपरोक्त अनुसार वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तलबी हेतु रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भिजवाये गये। प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित। इनको बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः प्रतिवादी सं0 1 ता 9 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं0 10 (पैरोकार सरकार) ने अपने पत्रांक/एल.आर./24/7563 दिनांक 20.12.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ग्राम नटाटा में हाल खसरा नम्बर 420 रकबा 0.30है0, खसरा नम्बर 453 रकबा 0.25है0, खसरा नम्बर 610 रकबा 0.25है0, खसरा नम्बर 612 रकबा 0.24है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.04है0 मुताबिक हाल जमा0 संवत 2074–2077 में खातेदार 1 लगायत 30 के नाम दर्ज रिकार्ड है। जिसमें खातेदार मुल्ला पुत्र काना हि0 1/12, श्योराम पुत्र काना हि0 1/12 दर्ज रिकार्ड है जो फौत हो चुके है। इनके वारिसान प्रतिवादीगण है। उक्त खसरा नम्बर के साबिक खसरा नम्बर 453 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 435 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 586 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 586मी. रकबा 19 बिस्वा थे। संवत 2022 भूमि एकीकरण खतौनी जमा0 मे वादी व प्रतिवादीगण के पिता काना, चन्दा, नारायण, भौरया पुत्र झूथा हि0 1/3 दर्ज रिकार्ड है। उसके बाद संवत 2008 से 2028 अवधि बदोबस्त की जमा0 में उक्त भूमि खातेदार मल्ला, श्योराम पि0 काना, चन्दा, नारायण पि0 झूथा हि0 1/3 दर्ज रिकार्ड हो गया है। उक्त भूमि में भोवरया पुत्र झूथा भी 1/12भाग खातेदार था। लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड संवत 2074 से 2077 चालु जमाबन्दी में वादीगण के पिता व वादीगण का स्वयं का नाम न दर्ज करके प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 के पिता के नाम दर्ज रिकार्ड हो गया जो कि सहवन से गलत दर्ज हो गया। हाल खसरा नम्बर 453, 420, 610, 612 में प्रतिवादी सं0 1 लगायत 9 के पिता का नाम मल्ला पुत्र काना हि0 1/12 व श्योराम पुत्र काना हि0 1/12 दर्ज रिकार्ड है। खातेदार काना पुत्र झूथा हि0 1/12, चन्दा पुत्र झूथा हि0 1/12, नारायण पुत्र झूथा 1/12 तथा भोवरया पुत्र झूथा 1/12 रिकार्ड था इस प्रकार काना हि0 1/24 व श्योराम पुत्र काना हि0 1/24 तथा भोवरया पुत्र झूथा के फौत होने पर उसके वारिसान देवाराम पुत्र भोवरया उर्फ भौरीलाल हि0 1/24, राजू देवी पुत्री भोवरया उर्फ भौरीलाल हि0 1/24 जाति मीना सा0देह दर्ज किया जाना उचित होगा। शेष हिस्सा चन्दा, नारायण पुत्र झूथा का बदस्तुर रखा जाना अपेक्षित है।

वकील वादी की बहस को सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात व पैरोकार सरकार रिपोर्ट आदि का अधोपात अवलोकन व बहस का मनन किया गया। दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार जमवारामगढ को आदेशित किया जाता है कि ग्राम नटाटा, पटवार हल्का नटाटा, तहसील जमवारामगढ में स्थित विवादित आराजी कृषि भूमियां हाल खसरा नम्बर 453, 420, 610, 612 साबिक खसरा नम्बर 453 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 435 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला–जयपुर

नम्बर 586-रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 586मी. रकबा 19 बिस्वा में प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के पिता मल्ला पुत्र काना के नाम दर्ज हिस्से 1/12 के स्थान पर 1/24 व प्रतिवादी सं0 7 ता 8 के पिता व प्रतिवादी सं0 9 के ससूर श्योराम पुत्र काना के नाम दर्ज हिस्सा 1/12 के स्थान पर 1/24 तथा वादीगण को संयुक्त हि0 1/12 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में बाद इन्द्राज दुरूस्त किया जावें। डिकी पर्चा पृथक से जारी किया जावें।

निणय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 17.03.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ